छुट्टियों के दिनों में खुले रहने वाले डाकघर

779. श्री राम **नरेश यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डाकघर रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी खुले रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है ;

(ग) सरकार चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान रविवार को ऐसे कितने डाकघरों को खोले रखने का विचार रखती है ; और

(घ) इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां। महत्व की दृष्टि से चुने गये डाकघर सामान्य कार्यालय समय के पश्चात् और रविवार सहित अवकाश के दिनों में खुले रहते हैं। उन्हें रात्रिकालीन डाकघर कहा जाता है।

(ख) देश में इस प्रकार के 174 डाकघर हैं।

(ग) फिलहाल और अधिक रात्रि-कालीन डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के गांवों में डाक एवं तार घरों की व्यवस्था

780. श्री राम **नरेश यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जिनमें डाक एवं तार सुविधायें अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ; और

(ख) सरकार उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) :

(क) **डाक सुविधाएं** :

उत्तर प्रदेश में 105398 जन-संख्या वाले ग्रामों में डाकघर नहीं हैं। तथापि, डाक का वितरण होता है और वितरण एजेंट डाक टिकटों की बिक्री करते हैं तथा सभी ग्रामों में रजिस्टर्ड पत्रों की बुकिंग करते हैं।

तार सुविधाएं :

इस समय उत्तर प्रदेश में 108874 ग्राम ऐसे हैं, जहां तार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) **डाक सुविधाएं** :

डाक घर खोले जाने के लिये मौजूदा मान दण्डों के अनुसार निम्नलिखित पैरा-मीटरों को अपनाया जाना अपेक्षित है।

सामान्य क्षेत्रों में :—

एक ग्राम समूह की जनसंख्या 3000 होनी चाहिये और डाक घर खोले जाने के लिये प्रस्तावित ग्रामों की दूरी निकटतम डाकघर कम से कम तीन किलोमीटर होनी चाहिये। अतः उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामों में डाक घरों की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जो ग्राम डाक घर खोलने के लिये जनसंख्या तथा दूरी के उपर्युक्त मानदण्डों को

पूरा करते हैं, वहां डाकघर खोलने के मामले पर चरणबद्ध तरीके से विचार किया जायेगा ।

तार सुविधाएं :—

ग्रामों में तार सुविधाओं की योजना षट्भुजाकार क्षेत्रों के आधार पर बनाई जाती है । उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 405 षट्भुजाकार क्षेत्रों 'में से 2753 में दूर संचार सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं । शेष 1302 षट्भुजाकार क्षेत्रों को आठवीं योजना में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

Afforestation Fund

781. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUM BI; Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: whether it is a fact that Govern-' ment has set-up Afforestation Fund; and,

(a) if So, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GAN-DHI): (a) and (b) The National Fund for Afforestation and Wastelands Development has been set up by Government Resolution No. 6. 1. 12/90-MM-VI dated 17th July, 1990, a copy of which giving the details is given in the Statement.

Statement

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART I SECTION I)

No. 6-1-12190 MM. VI GOVERNMENT OF INDIA BHARAT SARKAR MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, 17th July, 1990

R E S O L U T I O N

The rapid expansion of wastelands is seriously under mining the productive resource lase and endingsring vital life support systems ofthe nation. The Government has therefore iccordedhigh priority to programmes for regeneration of degraded areas wastelands. With i view to encourage individuals and corporate/non-corporate bodies patrtcipate in this lational effort through contributions or donations, it is considered necessary to have a fund for afforestation. Hence, the National Fund for Afforestation and Wastelands Development is hereby set up.

2. The above-mentioned Fund will be managed by a Committee composed as follows:

(a)	Minister incharge of the Ministry of Environment & Forests.	. Chairman
(b)	Minister of State in the Ministry of Environment & Forests.	. Vice Chairman
(c)	Secretary, Ministry of Environment & Forests	. Member
(d)	Secretary, (Revenue), Ministry of Finance. . . .	. Member
(e)	Secretary (Rural Development) Ministry of Agriculture.	. Member
(0	Two representatives of Voluntary Agencies involved in Afforestation	
(g)	Additional Secretary, National Wastelands Development Board, Mini-. Secretary	Member